

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:-:—एफ.4(ई)सेवानिवृत्ति/क.ले/अलेसे-III/ 723

दिनांक :-28.03.2018

कार्यालय आदेश :-419/2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से न्यायालय प्रकरण / विभागीय जाँच के लम्बित रहते हुए सेवानिवृत्त किया जाता है ।

क्र.स.	नाम	जन्मतिथि	से.नि.तिथि	वर्तमान पदस्थापन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री निरंजन लाल शर्मा (1028)	02.03.1958	31.03.2018	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बयाना, भरतपुर (22689)	इनके विरुद्ध विभागीय जाँच एवं न्यायालय में प्रकरण लम्बित है ।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-:—एफ.4(ई)सेवानिवृत्ति/क.ले/अलेसे-III/ 723

दिनांक :-28.03.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर
3. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बयाना, भरतपुर (22689)
4. श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय:- चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बयाना, भरतपुर (22689) ।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली ।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)